भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 487
दिनांक 04 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

अनाथ बच्चों/स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास

487. श्री विद्युत बरन महतो:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री रवि किशन:
श्री संजय सदाशिवराय मांडलिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री मनोज तिवारी:
श्री राजन बाबूराव विचारे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में महामारी के दौरान अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खोने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, उनके शोषण और दुर्व्यापार का जोखिम बढ़ जाता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने और उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने राज्यों को स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए मानक प्रचालन योजना तैयार करने के लिए कहा है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;
(ड.) क्या स्ट्रीट चिल्ड्रेन की समस्या का समाधान करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) महामारी के कारण स्ट्रीट चिल्ड्रेन और अनाथ बच्चों में बढ़ते कुपोषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों या एक जीवित माता या पिता या कानूनी संरक्षक या दत्तक माता-पिता को खो देने वाले बच्चों

की सहायता हेतु प्रधानमंत्री देखभाल बाल स्कीम की घोषणा की है । इस स्कीम तक आनलाइन पोर्टल अर्थात **pmcaresforchildren.in** के माध्यम से पहुंचा जा सकता है । इन बच्चों के आवेदनों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है । दिनांक 03.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, इस पोर्टल पर 6654 आवेदन अपलोड किए जा चुके हैं जिनमें से 3890 आवेदनों को उचित प्रकिया के पश्चात जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) और दत्तकग्रहण विनियम 2017 में अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के पुर्नवास के लिए फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है । बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण एकक को बच्चों के पुर्नवास का कार्य सौंपा गया है ।

मंत्रालय बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम मिशन वात्सल्य नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । जिसके अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों के लिए सेवा प्रदायगी हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है । बाल संरक्षण सेवा स्कीम के अंतर्गत स्वापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु के अनुसार उपयुक्त शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि के लिए सहायता प्रदान करते हैं। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की गैर-संस्थागत देखभाल के लिए प्रायोजकता की मात्रा प्रति माह प्रति बालक 2000/- रूपये है । बाल देखरेख संस्थान में रहने वाले बच्चों के लिए प्रति माह प्रति बालक 2160/- रूपये के अनुरक्षण अनुदान का प्रावधान किया गया है ।

(घ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आयोग ने सडक पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया 2.0 का तैयार किया गया था जिसे कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के सभी प्राधिकरणों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) और सभी हितधारकों को परिचालित किया गया था ।

(ड.) और (च) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वैधानिक और सेवा प्रदायगी ढांचों के नेटवर्क के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, पोषण अभियान का लक्ष्य एक सहक्रियात्मक और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर जीवनचक्र दृष्टिकोण के माध्यम से चरणबद्ध रूप से कुपोषण को कम करना है । इसके अतिरिक्त वैश्विक महामारी के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निरंतर पोषण सहायता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के घर पर 15 दिन में एक बार आंगनवाडी कर्मचारियों द्वारा खाद्य सामग्री के वितरण और पोषण सहायता करने का निदेश दिया गया था ।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार, सड़क पर रहने वाले और अनाथ बच्चों सहित संकट में पडे बच्चों को बालक की तुरंत आवश्यकता का पता लगाने और इन बच्चों के पुर्नवास के लिए उचित आदेश पारित करने, बच्चों को या तो देखभाल करने वाले व्यक्ति को वापस सौपने या फिर उसे संस्थागत या गैर-संस्थागत देखभाल में रखवाने के लिए बाल कल्याण समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

*****